न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : प्रार्थना पत्र संख्या/04/2021

1. आशा देवी पत्नी स्व0 श्री पप्पू
2. लक्की पुत्र स्व0 श्री पप्पू संरक्षक सरपरस्त माता आशा देवी
3. संजय पुत्र स्व0 श्री पप्पू संरक्षक सरपरस्त माता आशा देवी

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. किरण पुत्री पप्पू
2. नीतू पुत्री पप्पू
3. रजनी पुत्री पप्पू (नाम हजफ)
4. गौरीशंकर पुत्र भींवा
5. ज्याना पत्नी भींवा
6. नन्दकिशोर पुत्र भींवा
7. रूपा पुत्र महादेव (मृतक)

7/1 प्रभाती लाल पुत्र रूपा

7/2 लालाराम पुत्र रूपा

7/3 सीताराम पुत्र रूपा

7/4 राधेश्याम पुत्र रूपा

7/5 केसर देवी पत्नी रूपा

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7/6 गुलाब देवी पुत्री रूपा पत्नी ओमप्रकाश जाति रैगर निवासी ग्राम मदरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

7/7 मीरा देवी पुत्री रूपा पत्नी [illegible] जाति रैगर निवासी प्रताप नगर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal

Date: 2021.12.27 12:41:40 IST

Reason: SelfAttested

8. सुशीला पुत्री भींवा पत्नी [illegible]

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

सहायक कलेक्टर

जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

9. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार उप तहसील बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक : 23.11.2021**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र टीआई इस आशय के साथ पेश किया गया कि राजस्व ग्राम दहमीकलां पटवार क्षैत्र दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 180 व पुराना 159 के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1126 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1141 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1143 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1144 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1145 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर स्थित है, जो इस वाद में विवादग्रस्त आराजी हैं। जिसे इस वाद पत्र में आगे विवादग्रस्त आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। राजस्व ग्राम दहमीकलां, पटवार क्षैत्र दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 180 व पुराना 159 के खसरा नंबरान् कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 व 3 का प्रत्येक का हिस्सा 1/60–1/60 भाग की खातेदारी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का हिस्सा 1/60 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 5 का 1/10 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 6 का 1/8, अप्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/2, अप्रार्थी संख्या 8 का हिस्सा 1/40 की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अंकित हैं जो अपने–अपने भाग पर काबिज काश्त करते हुए लगान सरकारी अदा करते आ रहे है। अप्रार्थीगण एवं इसके साथ आये भू–माफिया लोगों ने दिनांक 30.1[illegible]20 को विवादित आराजी के बिना विधिक तकासमा विभाजन [illegible] पत्थर की ट्रोली निर्माण बाबत् लेकर आया। जिस पर प्रार्थीगण ने निर्माण कार्य से पहले तहसील चलकर सहमति से तकासमा करने की बात कही, जिस पर अप्रार्थीगण भडक गये और

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

एलानिया धमकी दी कि हम विवादित आराजी के सबसे अच्छे भाग पर पुख्ता निर्माण कर लेगें और काबिज हो जायेगें। जबकि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में मनबट के आधार पर वर्गीकरण करके काश्त कर रहे हैं। जिस पर दिनांक 30.12.2020 को तो अप्रार्थीगण व इसके साथ आये भू–माफिया लोग चले गये लेकिन बार–बार विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। जिससे वादकारण उत्पन्न हुआ तथा प्रार्थना पत्र टीआई प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर मूलवाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि, विवादित आराजी ग्राम दहमीकलां पटवार क्षैत्र, दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षे क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर राजस्थान स्थित आराजी खाता संख्या नया 180 व पुराना 159 के खसरा नंबर 1124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1126 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1141 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1143 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1144 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1145 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर से प्रार्थीगण को बेदखल नही करें, कोई खाम या पुख्ता निर्माण नहीं करें, उक्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें, बेचान हस्तान्तरण नही करें मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र टीआई के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ हाल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

प्रार्थना पत्र टीआई दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3, 8 व 9 की तामील जरिये रजिस्टर्ड एडी करवाने के उपरांत भी अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे।

अप्रार्थी संख्या 4 व 6 की ओर से जवाब टीआई [illegible] गया जिसमें अंकित है कि प्रार्थीगण ने वादग्रस्त खसरा नंबरान् की भूमि [illegible] संबंधित पक्षकारों के वास्तविक हिस्से को सही रूप से अंकित नहीं किया है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 5 ने वादग्रस्त खसरा नंबरान की भूमि में अपने हिस्से का पंजीकृत हक–त्याग पत्र दिनांक 24.09.2020 के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 4 व 6 के पक्ष में हक–त्याग

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned by CamScanner

कर दिया है, जिसके संबंध में राजस्व अभिलेखों के अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 1027 दिनांक 09.11.2020 प्रक्रियाधीन है, जिसके उल्लेख जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के अन्तर्गत भी किया हुआ है, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 व 6 का वादग्रस्त खसरा नंबरान् की भूमि में 1/8 हिस्से के अलावा अप्रार्थी संख्या 5 के 1/10 हिस्से को सम्मिलित करते हुए हिस्सा निहित है, अप्रर्थी संख्या 5, अप्रार्थी संख्या 4 व 6 की माता है, जिन्होंने अपने पुत्रों की सेवा सुश्रुषा व माता के प्रति आदर सम्मान से प्रसन्न होकर पंजीकृत हक–त्या गपत्र दिनांक 24.09.2020 अप्रार्थी संख्या 4 व 6 के पक्ष में निष्पादित किया है। इसके अलावा प्रार्थीगण ने अवैधानिक तरीके से अप्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 7 का वादग्रस्त भूमि में हिस्सा निहित होने का उल्लेख किया है, जबकि संख्या 3 व 7 का स्वर्गवास हो चुका है, परन्तु वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/60 हिस्सा होना सही अंकित किया है। दिनांक 30.12.2020 को अप्रार्थीगण न तो मौके पर किसी प्रकार से भू–माफिया लोगो को लेकर आये और ना ही कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ किया, प्रार्थीगण ने तहसील में चलकर तकासमा कराने की कोई बात नहीं की और ना ही अप्रार्थीगण ने तथाकथित तौर पर प्रार्थीगण को कोई धमकी दी, परन्तु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को नाजायज तरीके से हैरान परेशान करने की नीयत से मद संख्या 3 में सारे तथ्य मिथ्या एवं कपोल कल्पित अंकित किये है, ऐसी परिस्थितियों में वर्तमान प्रार्थना पत्र व वाद प्रस्तुत करने हेतु कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ। यदि राजस्व अभिलेख में वर्णित हिस्से के अनुसार अप्रार्थी संख्या 4 व 6 को अपने 1/8 हिस्से के अलावा अप्रार्थी संख्या 5 के हकत्याग पत्र दिनांक 24.09.2020 के आधार पर 1/10 हिस्से सहित विधिक विभाजन की डिक्री पारित की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 4 व 6 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अभिवचनों के अनुसार ना तो प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है और ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है, बल्कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय से वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए वर्तमान प्रकरण प्रस्तुत किया है, इसलिए प्रार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें। अन्त में प्रार्थना की गई है कि अप्रार्थी संख्या 4 व 6 का जवाब अभिलेख पर लिया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय भारी हर्जे व खर्चे सहित खारिज फरमाया जावें। प्रार्थना पत्र टीआई पर वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व मूलवाद अवलोकन किया गया। मूलवाद में निर्णय पारित किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है तथा मूलवाद अन्तिम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर (पश्चिम)

Scanned by CamScanner

निस्तारण में है। मूलवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजियात को संरक्षित बनाये रखना आवश्यक है। ऐसे में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत हो रहा है। सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण की होना संभावित है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4 लगायत 6, 7/1 से 7/7, 8 व 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि ताफैसला मूलवाद वादग्रस्त आराजियात खसरा 1124 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1125 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1126 रकबा 0.30 हैक्टेयर, 1134 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 1140 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 1141 रकबा 0.13 हैक्टेयर, 1143 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 1144 रकबा 0.08 हैक्टेयर, 1145 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 1162 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 1163 रकबा 0.17 हैक्टेयर, 1164 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 1165 रकबा 0.13 हैक्टेयर कुल किता 14 कुल रकबा 1.92 हैक्टेयर वाकै ग्राम दहमीकलां पटवार क्षैत्र, दहमीकलां, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र ठिकरिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित के मौके की यथास्थिति बनाये रखें व बेचान आदि न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर संलग्न मूलवाद रहें। निर्णय आज दिनांक 23.11.2021 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2021.12.27 12:41:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner